

-9-

9-638/12

शस्त्र दिनांक-31.03.2010 में निहित निर्देश के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री मनोरंजन कुमार, पिता-श्री राज नारायण प्रसाद सिंह, सा0-फ्लैट नं0-ए0-101, शिवा अपार्टमेंट, आई0ए0एस0 कॉलोनी, बेली रोड, पो0-दानापुर कैंट, थाना-रूपसपुर, जिला-पटना को उनके जान-माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री कुमार को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।

Karananabunoy
जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

Karananabunoy
जिला दण्डाधिकारी,
पटना।